

जेके लक्ष्मी सीमेंट डाल रहा सिरोही की जनता के पानी पर डाका!!!



वेस्ट बनास डेम का सूखता तल, बयान कर रहा
भ्रष्ट अधिकारियों और कंपनी की करतूत!!!

सिरोही की जनता और वेस्ट बनास डेम के आस-पास स्थित
32 गांवों में पानी के लिए मचा कोहराम!!!

**पर्यावरण विभाग को दिये आंकड़ों के अनुसार
कंपनी के प्लांट को 5380 केएलडी पानी की आवश्यकता!
जिसमें से 4820 केएलडी वेस्ट बनास डेम और भूजल दोहन से!!!
बाकी 560 केएलडी पुनःचक्रित जल से!!**

**केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा 6 कुओं से 600 केएलडी जल दोहन की अनुमति!!
जबकि जल संसाधन विभाग के साथ किए गए एमओयू के अनुसार,
3700 केएलडी जल के उपयोग की अनुमति!!!**

**इस प्रकार नियमानुसार वेस्ट बनास डेम(3700) और भूजल दोहन(600)
से कुल 4300 केएलडी ही किया जा सकता है जल का ओदद्योगिक उपयोग!!!
शेष 520 केएलडी जल कहाँ से ला रही है कंपनी?**

**इसी प्रकार कंपनी की खान के लिए 300 केएलडी पानी की आवश्यकता
जिसका स्रोत बताया,आस-पास के निजी कुओं से!!!
जिसकी नहीं ली गयी केंद्रीय भूजल बोर्ड से अनुमति!!**

सबसे बड़ा सवाल!!!

**कंपनी कहाँ से कर रही है,प्लांट और खान के लिए
शेष (520+300)820 केएलडी जल की आपूर्ति?**

वेस्ट बनास बांध का पानी खत्म होने के बावजूद,
अवैध कुएं खोदकर, कंपनी कर रही जल का दोहन!!!



जबकि एमओयू के अनुसार बांध के पेटे से है जल दोहन निषेध!!!
केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा प्लांट के लिए मात्र 6 कुएं खोदने की अनुमति!!!
प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी कनसेंट टू ओपरेट के बिना चल रही कंपनी की खान!!!

कंपनी के अवैध जल दोहन को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल संसाधन विभाग,
पीएचईडी, कलेक्टर कार्यालय की मौन स्वीकृति!!!

जल संसाधन मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने दिया जांच का आश्वासन!!!

प्यासे लोग, बर्बाद खेती लेकिन उदद्योगों की हो रही चाँदी

एक कहावत है- 'पानी की तरह खून बहाना'। लेकिन राजस्थान में पानी की तरह नहीं, बल्कि 'पानी के लिए' खून बहाने की नौबत कई वर्षों से है। आज भी राज्य के अधिकांश शहरों में रहने वाले पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव में रहने वाले किसान खेती के लिए पानी मांग रहे हैं और इन सभी की मांगों को पूरा करने के नाम पर अधिकारी, ठेकेदार और नेता सब साथ मिलकर सरकार का पैसा पानी जैसा बहा रहे हैं। इतना होने के बाद भी पानी की समस्या रोज बढ़ रही है। पानी के इंतजार में अब जनता की आंखों का पानी भी सूखने लगा है।

आजादी के बाद भारत के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कई सिंचाई परियोजनाएं घोषित कीं। किसानों ने

बरसों पहले अपनी जमीनें सिंचाई परियोजना के लिए यह सोच कर सरकार के हवाले की थी कि परियोजना शुरू होते ही उनके खेतों को पानी मिलेगा और घर में लक्ष्मी आएगी। परियोजना पूरी हुई, लेकिन भ्रष्ट नौकरशाही और कंपनियों की मिलीभगत के चलते वर्तमान में राज्यों के बांधों का पानी जनता को देने की बजाय उदद्योगों को दिया जा रहा है।



फ्रस्ट इंडिया न्यूज में प्रकाशित खबर से साभार

JK Lakshmi's commercial interests overrides thousands of lives from 32 villages in Sirohi! Now Water Resources minister Malviya orders an inquiry!

Nirmal Tiwari

Jaipur: What has more weightage, lives and interests of thousands of people living in 32 villages around a major water resource in a region or the interests of a single factory that has not only played an active role in the depletion of water from the dam but is now 'encroaching' on the water in nearby wells too.

As bizarre as it may sound, but this is exactly what is happening in Sirohi where the interests of people in 32 villages have been sidelined for the commercial interests of JK Lakshmi Cement Limited Company. Initially the company had an agreement with the Water Resources de-

partment for the usage of water from the West Banas dam, however, now, even after the termination of the agreement, uninterrupted water is being supplied to the company from the West Banas Dam. Not only this, after the water in the dam is exhausted, water supply is also being ensured to the cement company from nearby wells, due to which the villagers of 32 villages are facing irrigation crisis as well as livelihood crisis. Now, in this serious matter, Water Resources Minister Mahendra Jeet Malviya has stressed on getting an inquiry conducted.

The West Banas dam in Sirohi, once built for the benefit of farmers,

JK LAKSHMI
C E M E N T

The cement company gets an unabated water supply from the West Banas Dam even as the agreement with the water resources dept has long been terminated. In drier times, company now targets private wells for precious resource, affecting water table & agricultural practices in the region

had been supplying water to the cement unit for many years. But even after the end of the agreement, a new MoU was prepared, for a term of 5 years and the agreement between the two ended on October 4, 2018. In this regard, the chairman of West Banas Dam Consumer Sangam, Samar Chaudhary, informed

the then District Collector Anupama Jorwal and other officials including the then Superintending Engineer Anil Gupta and demanded that water supply be stopped immediately.

On the other hand, the then Superintending Engineer Anil Gupta told the consumer chairman that water supply to any

industrial unit is not stopped suddenly and stressed that the department is waiting for a new MoU. West Banas dam of Sirohi district irrigates agricultural land of the farmers of 32 villages of Pindwara, Abu Road tehsils, therefore, major point to ponder upon is if this dam is for benefit of the farmers or has been constructed to provide water to JK Industrial Unit, because this time also the farmers are looking helplessly at water being gulped down by the plant indiscriminately.

But now there is a new devp as well. As soon as water in dam finishes, JK Cement industrial unit starts pumping water from local wells built in boundary of the dam.

When it tried to get official statement of senior official of firm - Shailendra - through e-mail, he did not reply. Now, this matter has reached Water Resources Min Malviya who has now stressed an inquiry done at level of Principal Secy of dept.

Due to pvt wells built around periphery of dam, water level of nearby wells has gone down due to which farmers are disappointed. Villagers complained about these wells but due to the connivance of public representatives and officials, water is being given from these wells. Now matter has reached water resources min of Raj. It should be expected that justice will be done to the villagers of 32 villages.

क्या है सिरोही जिले के वेस्ट बनास बांध से जेके लक्ष्मी को दिये जा रहे पानी का मामला?

सिरोही में जेके सीमेंट लिमिटेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सिरोही की जनता और स्थानीय 32 गांवों के ग्रामीणों के हितों से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। वर्ष 2018 में जल संसाधन विभाग और कंपनी के बीच करार समाप्त होने के बाद भी, बिना जन सुनवाई किए, करार को पुनः 5 साल के लिए बढ़ा कर, वेस्ट बनास बांध से कंपनी को निर्बाध पानी की आपूर्ति की जा रही है। यही नहीं बांध में पानी समाप्त होने के बाद, बांध के केचमेंट क्षेत्र में अवैध कुएं खोद कर, सीमेंट कंपनी को पानी की आपूर्ति दी जा रही है इससे सिरोही की जनता के लिए पानी और स्थानीय 32 गांव के ग्रामीणों के सामने सिंचाई के संकट के साथ ही आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।

वर्ष 2016 में बसंतगढ़, पिंडवाड़ा, सिरोही स्थित खान और जेकेपुरम स्थित प्लांट के विस्तार हेतु जारी की गयी थी पर्यावरण स्वीकृति

वर्ष 2016 में बसंतगढ़, पिंडवाड़ा, सिरोही स्थित खान और जेकेपुरम स्थित प्लांट के विस्तार हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की गयी थी, कंपनी द्वारा अपनी बसंतगढ़ स्थित लाईमस्टोन की क्षमता 8 मिलियन टीपीए से बढ़ाकर 13.8 मिलियन टीपीए करने एवं जेकेपुरम स्थित प्लांट की क्षमता (क्लिकर की 5.35

मिलियन टीपीए से बढ़ाकर 8 मिलियन टीपीए और WHRB की 15 MW से बढ़ाकर 50 MW) करने हेतु आवेदन किया था। पर्यावरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कंपनी को पर्यावरण स्वीकृति निम्न प्रमुख शर्तों पर प्रदान की गयी थी:-

1. प्रोजेक्ट के 15 किमी के दायरे में कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य नहीं होना चाहिए।
2. कंपनी को विस्तृत हाइड्रोजियोलोजिकल सर्वे करवाकर, केंद्रीय भूजल अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी।
3. कंपनी को खान के संचालन के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से कनसेंट टु ओपरेट लेनी होगी।

4/1/22, 3:02 PM

https://www.business-standard.com/article/printer-friendly-version?article_id=116081600769_1

Business Standard

JK Lakshmi Cement gets green nod for Rs 120-crore expansion project

The green nod to the project was given subject to some conditions

Press Trust of India | New Delhi August 16, 2016 Last Updated at 17:22 IST



JK Lakshmi Cement has received environment clearance for expansion of its limestone mine output in Rajasthan, entailing an investment of Rs 120 crore.

The company's proposal was to enhance the production capacity of its limestone mine located in Sirohi district from 8 million tonnes per annum (MTPA) to 13 MTPA. The mined limestone will be supplied to a cement plant in Sirohi.

"The Environment Ministry has examined the proposal of JK Lakshmi Cement and granted the environment clearance for expansion of its limestone mine in Rajasthan," a senior government official said.

The green nod to the project was given subject to some conditions. The total cost of the project is estimated to be Rs 120 crore, the official added.

Among conditions specified, the company has been told that the green clearance would be subject to requisite clearances from the the National Board for Wildlife, if any, as applicable for this mining project.

The company has been asked to obtain consent to operation from the State Pollution Control Board.

Since the company has not obtained the necessary permission from the Central Ground Water Authority (CGWA) for intersecting ground water table, the company has been asked to carry out a detailed hydro-geological study and to obtain the recommendations of CGWA.

According to the proposal, 43,333 tonnes per day of limestone and 12,233 tonnes of waste would be handled for the proposed expansion project. The limestone produced from the mine face would be transported to crushers to be installed within the lease area via dumpers, while waste would be transported to earmarked dump site.

Crushed limestone will be further sent to the cement plant via cover conveyor belt and no local transport infrastructure would be required for the proposed project. Water would be sourced from West Banas dam.

The company has limestone mine lease area of 390.62 hectare. It is an opencast mine and the lease is valid up to 2030.

JK Lakshmi Cement, part of JK group, is engaged in the business of cement manufacturing since 1982. It has a plant at Sirohi with a production capacity of 5.3 MTPA. It also has a cement grinding unit in Gujarat and Haryana.



कंपनी को खान और प्लांट के संचालन के लिए कितनी पानी की है आवश्यकता?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी के जेकेपुरम स्थित प्लांट को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 5380 केएलडी पानी की आवश्यकता है, जिसमें से 4820 केएलडी वेस्ट बनास डेम और भूजल दोहन से लिया जाता है, बाकी 560 केएलडी पानी की भरपाई कंपनी द्वारा लगाए गए एसटीपी द्वारा पुनःचक्रित जल से की जाती है। इसी प्रकार कंपनी की बसंतगढ़ स्थित खान के लिए 300 केएलडी पानी की आवश्यकता होती है।

क्या है वास्तविकता?

यदि वास्तविकता देखी जाए तो कंपनी को जल संसाधन विभाग के साथ किए गए एमओयू के अनुसार, वेस्ट बनास डेम से 3700 केएलडी जल के उपयोग की अनुमति प्राप्त है, इसी के साथ केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा प्लांट के लिए 6 कुओं से 600 केएलडी जल दोहन की अनुमति प्रदान की गयी है। इस प्रकार देखा जाए तो कंपनी को अपने प्लांट के लिए नियमानुसार वेस्ट बनास डेम 3700 केएलडी और भूजल दोहन 600 केएलडी अर्थात् कुल

4300 केएलडी ही जल का ओदद्योगिक उपयोग किया जा सकता है। जबकि पर्यावरण विभाग को दिये आंकड़ों में इसे 4820 केएलडी बताया गया है, इस प्रकार कंपनी द्वारा सीधे सीधे 520 केएलडी पानी की चोरी अपने प्लांट के लिए की जा रही है।



इसी के साथ कंपनी की बसंतगढ़ खान के लिए 300 केएलडी पानी की आवश्यकता बताई गयी है। कंपनी ने अपनी अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट में इस जल की आपूर्ति स्थानीय निजी कुओं से बताई गयी है, जिसके लिए केंद्रीय भूजल विभाग अथवा स्थानीय प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गयी है।

देखा जाए तो कंपनी द्वारा अपने प्लांट और खान के लिए सीधे सीधे 520 केएलडी और 300 केएलडी यानि 820 केएलडी पानी की चोरी की जा रही है। कंपनी ने इसके लिए बांध के केचमेंट क्षेत्र में अवैध कूप/ट्यूबवेल खोद कर वहाँ से अपने निजी स्वार्थ के लिए भूजल की चोरी की जा रही है। जिसका सीधा सीधा असर सिरोही की जनता को की जाने वाली जल आपूर्ति और आस-पास के 32 गांवों को सिंचाई के लिए दिये जाने वाले जल पर पड़ रहा है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड ने दी प्लांट हेतु 6 ट्यूबवेलों की अनुमति

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा दिनांक 26/03/2021 को कंपनी के जेकेपुरम, बसंतगढ़ प्लांट के लिए नया प्रोजेक्ट मानते हुए 6 ट्यूबवेल खोदने की अनुमति प्रदान की थी। जिसके तहत कंपनी को 600 M3/दिन और 199800 M3/साल के लिए भूजल के दोहन की अनुमति प्रदान की गयी थी।



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources,
River Development & Ganga Rejuvenation
Central Ground Water Authority

(भूजल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र) NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FOR GROUND WATER ABSTRACTION

Project Name:	Jk Lakshmi Cement Limited		
Project Address:	Jayakapuram, Basantgarh, P. O. 307 019		
Village:	Basantgarh	Block:	Pindwara
District:	Sirohi	State:	Rajasthan
Pin Code:			
Communication Address:	Jk Lakshmi Cement Ltd, Jaykaypuram Basantgarh, Pindwara, Sirohi, Rajasthan - 307019		
Address of CGWB Regional Office :	Central Ground Water Board Western Region, 6-a, Jhalana Doongri, Jaipur, Rajasthan - 302004		

1. NOC No.:	CGWA/NOC/IND/ORIG/2021/11850											
2. Application No.:	21-4/14667/RJ/IND/2020	3. Category: (GWRE 2017)	Semi Critical									
4. Project Status:	New Project	5. NOC Type:	New									
6. Valid from:	26/03/2021	7. Valid up to:	25/03/2024									
8. Ground Water Abstraction Permitted:												
	Fresh Water		Saline Water									
	Dewatering		Total									
	m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day									
	600.00	199800.00										
9. Details of ground water abstraction /Dewatering structures												
	Total Existing No.:0						Total Proposed No.:6					
	DW	DCB	BW	TW	MP	MPu	DW	DCB	BW	TW	MP	MPu
Abstraction Structure*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
*DW- Dug Well; DCB-Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube Well; MP-Mine Pit;MPu-Mine Pumps												
10. Ground Water Abstraction/Restoration Charges paid (Rs.):	1798200.00											
11. Number of Piezometers(Observation wells) to be constructed/ monitored & Monitoring mechanism.	No. of Piezometers						Monitoring Mechanism					
	2						Manual	DWLR**	DWLR With Telemetry			
**DWLR - Digital Water Level Recorder							0	1	1			

(Compliance Conditions given overleaf)

This is an auto generated document & need not to be signed.

जल संसाधन विभाग ने कंपनी के साथ कर रखा है बांध के पानी उपयोग करने हेतु एमओयू

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जेके लक्ष्मी सीमेंट के साथ बांध के पानी के उपयोग हेतु एमओयू किया गया था। यह एमओयू 10 वर्ष के लिए किया गया था। एमओयू की शर्तों के अनुसार कंपनी बांध से अधिकतम 40 लाख लीटर/दिन (एमरजेंसी के लिए अधिकतम 50 लाख लीटर/दिन) लेकिन एक सीजन हेतु अधिकतम 46 MCFT पानी उपयोग की ही अनुमति प्रदान की गयी थी। इस पानी का कंपनी को 20 रुपए प्रति हजार क्यूबिक फीट के हिसाब से विभाग को भुगतान करना था। एमओयू के अनुसार सिरोही और आस-पास के क्षेत्र को जल आपूर्ति को कंपनी को दिये जाने वाले पानी से पहले सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी थी। कंपनी को अपने खर्च पर पंप स्टेशन और मीटर लगाना था। एमओयू के अनुसार कंपनी को बांध के Minimum Drawdown level (Sill Level of Dam) पर जल दोहन की मनाही होगी।

- 2. (a) That the consumer shall draw water required for its factory and the colony in such quantities as may be bonafide required subject to a maximum of 40 lacs liters per day (maximum 50 lacs liters per day in case of emergency). The maximum demand in one season shall not exceed 51 mcft.**

वर्ष 2008 में कंपनी के साथ किया गया एमओयू, जिसमें 51 एमसीएफटी जल दोहन की अनुमति दी गयी थी।

- 2. (a) That the consumer shall draw water required for its factory and the colony in such quantities as may be bonafide required subject to a maximum of 40 Lacs litres per day (maximum 50 lacs litres per day in case of emergency). The maximum demand in one season shall not exceed 46 mcft.**

वर्ष 2016 में कंपनी के साथ किया गया एमओयू, जिसमें 46 एमसीएफटी जल दोहन की अनुमति दी गयी है।

- 16. That in no case withdrawal of water will permit beyond minimum drawdown level i.e. Sill Level of dam.**
- 17. The Government neither take any responsibility of availability of designated quantity of water in West Banas Dam nor do the Government bind itself for future non utilization of river water for public purposes.**

एमओयू के अनुसार कंपनी को बांध के Minimum Drawdown level (Sill Level of Dam) पर जल दोहन की मनाही होगी।

कंपनी द्वारा पर्यावरण
विभाग को प्रस्तुत अर्ध
वार्षिक रिपोर्ट्स के
अनुसार आंकड़े

Total water requirement from West Banas Dam and ground water sources shall not exceed 3,700 Kl/days per the permission accorded by the Irrigation Department, Govt of Rajasthan and Central Ground Water Authority. The treated wastewater from STP and CPP shall be reutilized for green belt development and other plant related activities i.e. cooling etc. after necessary treatment. 'Zero' discharge shall be strictly adopted and no effluent from the process shall be discharged outside the premises.

Total water consumption in the cement plants, mine activities, captive power plant and domestic activities is below 3700 Kl/days as permission accorded by the Irrigation Department and Central Ground Water Authority.

JKLC has STP of capacity 400 m3/day based on "Activated Sludge Process" technology. Treated waste water from STP and CPP is being reutilized 100% for cooling in cement plant and after necessary treatment.

No effluent is being discharged from the plant.

Month	Average Water Consumption in KL/Day
April 2021	2249.6
May 2021	2063.6
June 2021	2225.8
July 2021	1966.5
August 2021	1902.2
Sept. 2021	2091.2

Total water requirement from West Banas Dam and ground water sources shall not exceed 3,700 Kl/days per the permission accorded by the Irrigation Department, Govt of Rajasthan and Central Ground Water Authority. The treated wastewater from STP and CPP shall be reutilized for green belt development and other plant related activities i.e. cooling etc. after necessary treatment. 'Zero' discharge shall be strictly adopted and no effluent from the process shall be discharged outside the premises.

Total water consumption in the cement plants, mine activities, captive power plant and domestic activities is below 3700 Kl/days as permission accorded by the Irrigation Department and Central Ground Water Authority.

JKLC has STP of capacity 400 m3/day based on "Activated Sludge Process" technology. Treated waste water from STP and CPP is being reutilized 100% for cooling in cement plant and after necessary treatment.

No effluent is being discharged from the plant.

Month	Average Water Consumption in KL/Day
Oct 20	2320.8
Nov 20	2361.7
Dec 20	2216.2
Jan 21	2399.4
Feb 21	2476.1
Mar 21	2863.4

Total water requirement from West Banas Dam and ground water sources shall not exceed 3,700 Kl/days per the permission accorded by the Irrigation Department, Govt of Rajasthan and Central Ground Water Authority. The treated wastewater from STP and CPP shall be reutilized for green belt development and other plant related activities i.e. cooling etc. after necessary treatment. 'Zero' discharge shall be strictly adopted and no effluent from the process shall be discharged outside the premises.

Total water consumption in the cement plants, mine activities, captive power plant and domestic activities is below 3700 Kl/days as permission accorded by the Irrigation Department and Central Ground Water Authority.

JKLC has STP of capacity 400 m3/day based on "Activated Sludge Process" technology. Treated waste water from STP and CPP is being reutilized 100% for cooling in cement plant and after necessary treatment.

No effluent is being discharged from the plant.

Month	Average Water Consumption in KL/Day
Oct 19	1738.5
Nov 19	1662.0
Dec 19	1648.7
Jan 20	1896.2
Feb 20	1807.0
Mar 20	1578.8

Project Proponent has not obtained the necessary permission from the CGWA for intersecting ground water table. The Project proponent required to carry out detailed hydro geological study and to obtain the recommendations of CGWA. The Project Proponent will submit the aforesaid study report and recommendations of CGWA to the Ministry. The Ministry will take a decision on this matter based on detailed hydro geological study, recommendation of CGWA etc.

We have not intersected the water table so far. Mining is being done as per approved Mining Plan. In future if any intersection is there, we will conduct the detailed hydro-geological study to obtain the necessary permission from CGWA.

कंपनी द्वारा अपनी अर्ध वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा अभी तक हाइड्रोजियोलोजिकल सर्वे नहीं करवाया गया है और ना ही, केंद्रीय भूजल अथॉरिटी से अनुमति ली गयी है।

	Mining Project.	
iii)	The Project Proponent shall obtain Consent to Operate from the State Pollution Control Board, Rajasthan and effectively implement all the conditions stipulated therein.	We will obtain Consent to Operate before enhancement of production capacity from 8.0 MTPA to 13.0 MTPA.

पर्यावरण विभाग द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुसार कंपनी को अपनी बसंतगढ़ स्थित खान के लिए प्रदूषण विभाग से कनसेंट टू ओपरेट लेने हेतु निर्देशित किया गया था, जबकि कंपनी द्वारा प्रकाशित अर्ध वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी द्वारा अभी तक कनसेंट टू ओपरेट लिए बिना खान का संचालन किया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है।

CONDITIONS	COMPLIANCE STATUS
GENERAL CONDITIONS:	
The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the Rajasthan Pollution Control Board and the State Government.	Noted. We are complying time to time with order published from RSPCB as applicable with us.

जेकेपुरम स्थित प्लांट के लिए बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा प्रदूषण बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जबकि कंपनी द्वारा अवैध रूप से पानी का दोहन किया जा रहा है।

वर्ष 2008 से वर्ष 2019 तक कंपनी के उत्पादन में वृद्धि यानी पानी के उपयोग में वृद्धि जबकि जल संसाधन विभाग के साथ वर्ष 2008 और 2019 को किए गए एमओयू में पानी के उपयोग में कटौती के बावजूद कहाँ से आ रहा है कंपनी के प्लांट और खान के लिए पानी?

जल संसाधन विभाग और कंपनी के बीच का एमओयू वर्ष 2018 में समाप्त हो गया था। लेकिन अधिकारियों से मिलीभगत के चलते इस एमओयू के समाप्त हो जाने के एक वर्ष पश्चात वर्ष 2019 में पुराने एमओयू को लगभग समान शर्तों पर और 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। इन दोनों एमओयू के बीच एक बड़ी असमानता यह रही कि वर्ष 2008 में जेके लक्ष्मी सीमेंट को एक सीजन हेतु अधिकतम 51 MCFT पानी उपयोग की ही अनुमति प्रदान की गयी थी। जबकि वर्ष 2019 में किए गए एमओयू के अनुसार एक सीजन हेतु अधिकतम 46 MCFT पानी उपयोग की ही अनुमति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार कंपनी को दिये जाने वाले पानी में 5 MCFT की कटौती की गयी जबकि इन्हीं वर्षों में कंपनी ने अपनी खान और प्लांट दोनों की क्षमता में डेढ़ी बढ़ौतरी कर, जल उपयोग की सीमा में भी बढ़ौतरी की है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि कंपनी अपने प्लांट और खान की आपूर्ति के लिए पानी कहाँ से ला रही है।

क्या जल संसाधन विभाग मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा दिये गए जांच के आदेशों की होगी पालना?

इस पूरे मामले को जल संसाधन विभाग मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा गंभीरता से लिया गया है तथा उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की गहनता से जांच कर, कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही

की जाएगी। देखना यह है कि कंपनी द्वारा यह पूरा मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में गंभीरता से कार्यवाही करते हैं या फिर यह मामला भी रद्दी फाइलों की शोभा बढ़ाएगा।

प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी कनसेंट टू ओपरेट के बिना चल रही कंपनी की खान!!!

पर्यावरण विभाग द्वारा कंपनी की बसंतगढ़, सिरोही स्थित खान को जारी पर्यावरण स्वीकृति में यह स्पष्ट निर्देश दिये गए थे कि कंपनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान से खान संचालन हेतु कनसेंट टू ओपरेट हासिल करेगी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी द्वारा कनसेंट टू ओपरेट लिए बिना खान का संचालन किया जा रहा है और खुलेआम पर्यावरण नियमों की धजियां उड़ाई जा रही है।



जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर किसने दी कंपनी को डेम के केचमेंट से ट्यूबवेल खोदकर, जल दोहन की अनुमति?
2. क्या कंपनी ने ली है प्रदूषण विभाग से कनसेंट टू ओपरेट की अनुमति? बिना प्रदूषण विभाग से कनसेंट टू ओपरेट लिए आखिर कैसे चल रही है इतने सालों से कंपनी की खान? क्या प्रदूषण विभाग के स्थानीय अधिकारी इतने सालों से गहरी नींद में सो रहे हैं?
3. क्या कंपनी ने पर्यावरण विभाग के निर्देशों के अनुसार करवाया है हाइड्रोजियोलोजिकल सर्वे?
4. क्या कंपनी ने ली है भूजल बोर्ड से अनुमति?
5. क्या कंपनी द्वारा पर्यावरण विभाग को दी गयी रिपोर्ट के अनुसार सीएसआर मद में विधिवत पैसा खर्च किया जा रहा है?
6. जनता का पानी चोरी कर रही कंपनी के विरुद्ध आखिर क्यों नहीं कर रहे जिम्मेदार कार्यवाही?
7. क्या विभाग करवाएगा कंपनी को दिये जा रहे पानी की ऑडिट?
8. क्या जनता का हक मारकर अवैध रूप से बांध और भूजल से किए जा रहे जल दोहन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विभाग, कंपनी का पानी बंद करने की कार्यवाही करेगा?
9. क्या विभाग के मंत्री श्री महेंद्र जीत मालवीय द्वारा दिये गए जांच के आदेशों की विभाग करेगा पालना?
10. यदि जिम्मेदार विभागों द्वारा कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की तो क्या स्थानीय निवासियों को एनजीटी का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा?

